# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 977/2019**
मवासी राम

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, भरतपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर, राजस्थान।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर, राजस्थान।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नदबई, भरतपुर, राजस्थान।

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 23.02.2024

**उपस्थिति :–**

अपीलार्थी की ओर से : श्री ऋषीराज माहेश्वरी, अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की पे–स्केल गलत रूप से 5400/– के स्थान पर 4800/– की है और अपीलार्थी से वसुली किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी से वसुली किया जाना गलत है।
2. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुए यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे। अभ्यावेदन के निस्तारण तक इस अपील में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 30.04.2019 प्रभावी रहेगा।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**